न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 19/2024 निर्णय दिनांक :– 19/12/2025

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

दामोदर पुत्र बद्री जाति खाती उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0 –वादी

बनाम

1. भवरलाल पुत्र बद्री जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रधान पुत्र रामलक्ष्मण जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0 –प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री बद्रीप्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कि प्रार्थी ने आज माननीय न्यायालय में एक वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। जिसमे प्रार्थी को सफलता की पूर्ण उम्मीद है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रबल सिद्ध है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम चांदली पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान मे स्थित है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजीयात का आवंटन सन् 1665 में हुआ था उसके पश्चात प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज की गई तत्पश्चात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज की गई। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात पर निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी ने उक्त आराजीयात पर सरसो की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिपक्षीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से किसी तरह का कोई संबंध एवं सरोकार नही है और ना ही कब्जा है। प्रतिपक्षीगण आदतन लड़ाकू झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है तथा धमकी देते है कि तुम्हारी फसल को काटकर ले जायेगे तथा जबरन इस भूमि पर फसल काश्त कर कब्जा करेगे। जब भी अपनी उक्त आराजी भूमि को हांकने व जोतने जाते है तो प्रतिपक्षीगण एक साथ एक राय होकर जमीन पर आते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजामहत करते है तथा प्रार्थी के मना करने पर गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा करते है तथा भूमि पर जबरन फसल काटकर ले जाने तथा कब्जा करने की धमकी देते है जिसका कि प्रतिपक्षीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी आज से 5 दिन पूर्व अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर गये तो प्रतिपक्षीगण एक साथ एक राय होकर आये और प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर लड़ाई झगड़ा करने लगे तथा धमकी दी कि आज के बाद इस जमीन पर कदम रखा तो जान से खत्म कर देगे। प्रतिपक्षीगण को उनके द्वारा किये जा रहे उक्त अवैध कृत्य से रोका जाना न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है जिसके लिये प्रतिपक्षगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये ऐजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात पर

जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, फसल को नुकसान नही पहुँचाये तथा प्रार्थी के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बाने, कांटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी तरह से संभव नही होगा।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नंबर 360 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम चांदली पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित भूमि पर जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, सफल को नुकसान नही पहुँचाये तथा प्रार्थी के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग एवं सफल बोने , कांटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आदतन लड़ाकू झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है आये दिन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है और साथ ही प्रार्थी के कब्जेकाश्त के हिस्से पर मजामहत करते है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से मूलवाद तक पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे जमाबन्दी संम्वत 2074–77 वाके ग्राम चांदली तहसील देवली में प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने वाद इस बाबत पेश किया है कि प्रार्थी स्वयं के हिस्से की भूमि पर बिना किसी वाद विवाद के काश्त करना चाहता है और प्रार्थी स्वयं रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। **अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 185 खसरा नम्बर 360 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम चांदली पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक में प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, प्रार्थी के कब्जेकाश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी को बेदखल नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष पक्षकारान ताफैसला मूल वाद तक बनाये रखे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति वाद के साथ पृष्ठ में संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली